(2)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 555 / 18–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

श्री सुनील लकड़ा – विक्रेता

श्रीमती हेलेन हस्सा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16.01.20		

आदेश

आवेदक श्री सुनील लकड़ा पिता स्व0 जगना लकड़ा ग्राम–कुलहुटू थाना कर्रा, जिला खूँटी ने श्रीमती हेलेन हस्सा पति श्री रोशन हस्सा ग्राम–कुरले, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
कुलहुटू	159	17	421	0.30

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं0 2149320 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 1245 दिनांक 21.11.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम गुलुवा उराँव वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार गुलुवा उराँव वगैरह के नाम भूमि का रकवा 8.87 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 2.95 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 9335.00(नौ हजार तीन सौ पैतीस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 2.65 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एव खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री सुनील लकड़ा पिता स्व0 जगना लकड़ा को श्रीमती हेलेन हस्सा पति श्री रोशन हस्सा के साथ ग्राम कुलहुटू के खाता सं0 17 खेसरा संख्या 421 कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 9335.00(नौ हजार तीन सौ पैतीस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

16/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

16/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।